विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड़ बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रस्ताव आमंत्रण किये जा रहे है। इस हेतु उत्तराखण्ड़ में निवासरत अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार युवक/युवतियों को निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है –

1. (1) रिंगाल के उत्पादों का प्रशिक्षण (2) मोबाईल रिपेयरिंग, (3) मोटर ड्राइविंग, (4) काष्ट कला प्रशिक्षण, (5) सी.एस.सी. संचालन हेतु कम्पयूटर प्रशिक्षण, (6) होम स्टे एण्ड़ हॉस्पैलिटी मैनेजमेंट, (7) रूप सज्जा (Beautician), (8) हथकरघा हस्तशिल्प, (9) हाउस विद्युत वायरिंग, (10) प्लम्बिंग कार्य, (11) ऐंपण/रंगोली प्रशिक्षण योजनाओं में रोजगारपरक् प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार/स्वरोजगार में नियोजित किये जाने हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (प्रशिक्षण) संचालित किये जायेंगे।
2. उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश के विभिन्न जनपदों के दूरस्थ स्थलों में कराये जाने प्रस्तावित है। तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इच्छुक स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रशिक्षण से सम्बंधित प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। प्रशिक्षणदायी संस्थाओं के चयन हेतु मापदण्ड़ निम्नवत् है–

1	संस्था का पूर्ण विवरण **(अनिवार्य)**	1. सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकरण तथा पंजीकरण संख्या । 2. पैन कार्ड नम्बर ।
2	संस्था की आय– व्यय का विवरण **(अनिवार्य)**	1. विगत तीन वर्षो की आय–व्ययक का विवरण (वार्षिक टर्नओवर रू0 5.00 लाख से अधिक हो एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों द्वारा संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं का वार्षिक टर्नओवर रू0 1.00 लाख होना आवश्यक है।)। 2. वित्तीय वर्ष 2022–23 से तीन वित्तीय वर्षो की बैलेंस शीट एवं आय–व्यय विवरण (सी.ए. द्वारा प्रमाणित) ।
3	धरोहर धनराशि **(अनिवार्य)**	राष्ट्रीयकृत बैक द्वारा दस हजार मात्र का ड्राफ्ट/एन.एस.सी. अथवा एकाउन्ट पेई चैक जो निगम के **खाता संख्या 4422000101001579 पंजाब नैशनल बैंक, विधान सभा मार्ग देहरादून IFSC Code –PUNB0442200** पर जमा किया जा सकता है। आनलाईन की स्थिति में उक्त धनराशि उपरोक्त वर्णित खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जमा कर धनराशि की रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। आवेदन अस्वीकृत होने पर उक्त धरोहर धनराशि आवेदक को 15 दिवस में वापस कर दी जायेगी।
4	प्रशिक्षणदायी संस्था का विगत तीन वर्षो का विवरण	स्वैच्छिक संस्था द्वारा राजकीय/अराजकीय/संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किये जाने वाली संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी।
5	प्रशिक्षणदायी संस्था का विगत तीन वर्षो का विवरण	विगत तीन वर्षो में राज्य सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग द्वारा आवंटित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन करने सम्बंधी अनुभव (कार्यादेश की प्रतियां संलग्न करे)।
6	संस्था का भवन तथा प्रशिक्षण सम्बधी वैशिष्टय	1. प्रशिक्षणशाला में संस्था को प्रशिक्षण के अनुरूप प्रशिक्षणशाला का प्रबन्ध करना होगा। जिसमें शिक्षित बेरोजगारों के प्रशिक्षण हेतु समस्त आवश्यक फर्नीचर सुविधायें होनी अनिवार्य है। 2. संस्था का भवन तथा भवन में प्रशिक्षण के लिये आवश्यक मशीनें एवं उपकरणों की उपलब्धता होनी अनिवार्य है। 3. संस्था के पास मान्यता प्राप्त कार्यकुशल प्रशिक्षक पुरूष/महिला होने आवश्यक है। प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व संस्था को प्रशिक्षकों के अनुबन्ध निगम को उपलब्ध कराने होगे। 4. संस्था के भवन में महिला/पुरूषों हेतु पृथक शौचालय की व्यवस्था होना आवश्यक है। ।

Scanned with CamScanner

3. उक्त तालिका में वर्णित बिन्दु संख्या (1), (2) एवं (3) अनिवार्य है। अनिवार्य अर्हता पूर्ण न करने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा।
4. तद्नुसार उक्त मानक पूर्ण करने वाली संस्थायें अपने आवेदन पत्र विधिवत रूप से संलग्न प्रारूप (संलग्न) में भरकर मुहरबन्द लिफाफे में आवेदक सम्बधित जनपद/निगम मुख्यालय में अथवा आनलाईन ईमेल आई0डी0 ukbvvntraining@gmail.com के माध्यम से निर्धारित तिथि तक प्रेषित कर सकते है।
5. आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि –
   (अ)– जनपदीय कार्यालय समाज कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तराखण्ड़ बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के कार्यालय में दिनांक 10 सितम्बर 2025 तक ।
   (ब)– निगम मुख्यालय उत्तराखण्ड़ बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, भगत सिंह कालोनी, जनजाति परिसर, अधोईवाला, देहरादून में दिनांक 15 सितम्बर 2025 तक सांय 5.00 बजे तक ।
6. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। मात्र आवेदन प्रस्ताव जमा करना ही स्वीकृति का आधार नहीं होगा।
7. आवेदक संस्था का पूर्व इतिहास स्वच्छ एवं परदर्शी होना अनिवार्य है। संस्था के स्वामी अथवा विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधि को रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर संस्था के काली सूची में दर्ज न होने सम्बंधी शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
8. निगम मुख्यालय को प्राप्त आवेदनों में से किसी भी संस्था को प्रशिक्षण का दायित्व दिया जा सकता है। चयनित संस्था को निगम मुख्यालय के साथ एक अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित करना होगा, तभी उक्त संस्था को प्रशिक्षण हेतु अधिकृत माना जायेगा ।
9. इस सम्बंध में प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

संलग्नक –यथोपरि ।

(गोरधन सिंह)
उपमहाप्रबन्धक

प्रधान कार्यालय
कार्यालय – उत्तराखण्ड़ बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0
भगत सिंह कालोनी (निदेशक जनजाति परिसर) अधोईवाला देहरादून।

पत्रांक 634/बहु0नि0/प्रशि0प्र0/2025–26 दिनांक 30 अगस्त 2025
प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक समाज कल्याण हल्द्वानी नैनीताल को सादर अवलोकनार्थ ।
2. निदेशक जनजाति कार्यालय, देहरादून को सादर अवलोकनार्थ।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड़ को सादर अवलोकनार्थ।
4. निगम मुख्यालय एवं समस्त जनपदीय ईकाईया उत्तराखण्ड़ बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को इस निर्देश के साथ कि प्रशिक्षण योजनाओं का प्रचार प्रसार कर अन्य कार्यालयों एवं विकास खण्डो के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।

उपमहाप्रबन्धक

Scanned with CamScanner